भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1562** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **10 फरवरी**, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

निजी शिपयार्डों में जहाजों की मरम्मत

†1562. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी शिपयार्डों में कितने जहाजों की मरम्मत की गई;
(ख) क्या कोविड-19 महामारी के कारण जहाजों का मरम्मत उद्योग प्रभावित हुआ है;
(ग) यदि हां, तो आर्थिक हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार मेक इन इंडिया जैसी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत पोत निर्माण पुर्जों के स्वदेशी विनिर्मिताओं की सहायता कर रही है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार ने जहाज मरम्मत उद्योग में राजस्व और रोजगार सृजित करने के लिए कार्यक्रम विकसित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) : इस मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निजी शिपयार्डों द्वारा 725 पोतों की मरम्मत की गई थी।

(ख) और (ग) : जी, हां। कोविड-19 वैश्विक महामारी के सामान्य प्रभाव में पोत मरम्मत संचालन का स्तर कम होना शामिल है, जो प्रतिबंधित कामकाज व्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर- राज्यीय लॉक डाउन प्रतिबंधों आदि विभिन्न कारणों से हुआ। उपर्युक्त कारणों से तथा साथ ही उपभोक्ताओं से नकद प्रवाह से संबंधित समस्याओं के कारण कुछ पोत मरम्मत परियोजनाओं में विलंब हुआ।

(घ) और (ङ) : जी, हां। सरकारी प्रापण (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 16.09.2020 के संशोधित आदेश, 2017 के प्रत्युत्तर में इस मंत्रालय ने दिनांक 13.10.2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 200 करोड़ रु. से कम मूल्य की वस्तुओं ओर सेवाओं के प्रापण/ खरीद संबंधी निविदाओं के लिए केवल श्रेणी-I स्थानीय सप्लायर (स्थानीय सामग्री का न्यूनतम 50%) और श्रेणी-II स्थानीय सप्लायर (स्थानीय सामग्री का न्यूनतम 20%) ही विभिन्न प्रकार की खरीद में प्रतिभागी होने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2021 को दो और अधिसूचनाएं भी जारी की हैं।

(च) और (छ) : जी, हां। वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सरकारी विभाग/ एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार के जलयानों की खरीद/ जलयान की मरम्मत के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की आरओएआर (पहले इन्कार करने का अधिकार) की मौजूदा कार्यन्वित नीति जारी रहेगी। यह मांग सृजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है। इसके अतिरिक्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने विस्तृत मैरीटाइम इंडिया विजन, 2030 प्रतिपादित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय पत्तन उद्योग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए गए हैं।

*****